तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 79/2017 धारा 225 आर.टी.एक्ट, बक्शनवान खींयाराम बनाम नरसींगाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15.11.2021

पीठासीन अधिकारी:- श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थित:- श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री भगवाराम चारण अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

प्रस्तुत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 155/2017 बक्शनवान खींया बनाम नरसिंगा में पारित आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण व उत्तरदातागण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार से है जो हिन्दु विधि से शासित होते है। पक्षकारान पूर्व पुरुष मुतवफी गिरधारी के वंशज व उत्तराधिकारी है। अपीलाधीन आराजी के पूर्वज सर्व श्री पदमा, पुनमा व सोना संयुक्त रूप से जागीरी के समय काबिज थे तथा गत बंदोबस्त के समय सर्व श्री पदमा , पुनमा व सोना ने संयुक्त रूप से उक्त दोनों गांवो की भूमि की पैमाईश करवाई थी परन्तु बंदोबस्त विभाग ने खेत खसरा संख्या 428 रकबा 144.16 बीघा व खसरा संख्या 427 रकबा 09 बिस्वा मौजा भूका पाना बगतसिंह की सही पैमाईश करके पदमा, पुनमा व सोना पिसरान गिरधारी के नाम से सही पर्चा लगान जारी कर दिया। बंदोबस्त के समय पदमा, पुनमा व सोना तीनों भाईयों का संयुक्त रूप से भूका पाना बगतसिंह में रहवास था तथा बंदोबस्त के समय तीनो भाईयों का मौका खरंटिया आना जाना रहता था तथा खरंटिया के सभी खेतों पर पदमा, पुनमा व सोना का संयुक्त रूप से कब्जा था परन्तु बंदोबस्त अधिकारियों की भूल से मौजा खरंटिया के खेतो की पैमाईश के समय खेत खसरा संख्या 115 रकबा 77.10 बीघा, खसरा संख्या 174 रकबा 43.17 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 12 बिस्वा कुल रकबा 121.19 बीघा भूमि का गलत रूप से उत्तरदाता संख्या 01 से 03 के पिता पदमा अकेले के नाम से पर्चा लगान जारी कर दिया। अपीलाधीन आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है। अपीलाधीन आराजी पर तीनों भाईयों संयुक्त रूप से काबिज रहे तथा संयुक्त रूप से काश्त करते थे तथा संयुक्त रूप से सरकार को लगान अदा किया जाता रहा। अपीलाधीन आराजी में अपीलांटगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकार है तथा पक्षकारान अपने अपने इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु अपीलांट के विपरित किस प्रकार है। आदेश में अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उपरोक्त तथ्यों का विवचेन किये बिना पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया

RRT 2012(2) Page 1210

सिविल प्रक्रिया संहिता का पृष्ठ संख्या 314

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण व उत्तरदातागण वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही अलग अलग रहवास करते थे तथा वक्त सेटलमेंट के समय अलग अलग निवास करने के कारण अलग अलग कब्जा काश्त होने से अब 6–7 पीढी पूर्व की वंशावली तैयार कर गलत रूप से वाद व आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के आवेदन को प्रमाणित नही मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को सही व विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया था। पक्षकारान के पूर्वजों का मौके पर वक्त सेटलमेंट के समय कब्जा काश्त के अनुसार ही पर्चा लगान अलग अलग जारी किया गया जो सही जारी किया गया था परन्तु अब भूमि की कीमतों में बढोतरी होने के कारण अपीलांटगण की नियत में खोट आने के कारण गलत तथ्यों व आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद व आवेदन पेश किया गया जो मातहत अदालत ने अपीलांटगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अपीलांटगण के रेकर्डेड खातेदार न होने व मौके पर कब्जा काश्त न होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया गया जो विधि सम्मत तरीके से खारिज यि गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। रेस्पोडेंट को अपनी खातेदारी भूमि के उपभोग एवं उपयोग से वंचित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। आवेदन–पत्र में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो, कि प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति हो रही हो। जबकि इसके विपरीत विप्रार्थी वक्त सेटलमेंट से विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज होती आ रही है तथा रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई/अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर